न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1616

1. पूरणमल मीणा पुत्र श्री मोहर पाल मीणा,
2. राजेश मीणा पुत्र कल्याण,
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झाझीरामपुरा, तहसील बसवा जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी झाझीरामपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा, जिला दौसा।

– मुख्य रेस्पोडेन्ट्स

3. देवीसहाय मीणा पुत्र श्री मोहरपाल मीणा,
4. इन्द्र लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा,
5. रूपा मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा,
6. रामबाई मीणा पत्नी मोहरपाल मीणा
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम झाझीरामपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा।

– तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा दिनांक 13.05.2025 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 13/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विवेक शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री अनिल शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–06.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 19.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 69 पुराना 66 के आराजी खसरा नम्बर 120/577 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 203/596 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 214/579 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.30 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.88 है0 वाके ग्राम झाझीरामपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेशित किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी वाके ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खसरा नम्बर 120/577, 203/596, 210, 214/579, 80, 82 कुल किता 6 कुल रकबा 1.88 है0 भूमि ग्राम झाझीरामपुरा का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट पूरणमल मीणा पुत्र श्री मोहर पाल मीणा ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा दिनांक 13.05.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना कतई गलत मनमाना निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नही किया गया कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पडौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती हैं। परन्तु इसके संबंध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पडौसी काश्तकारों के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय व मनमानी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा लाभ पहुंचाने की गरज से बिना मौके पर नाप जोख किये ही केवल कागजों में ही सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई थी। ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि विधान के विरुद्ध हैं। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस नही देकर न्यायिक प्रक्रिया का हनन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 213, 217 पर कब्जा करने में उतारू हैं। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलान्ट को जबरन बेदखल कर उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं। जिसकी अनुमति रेस्पोडेन्ट को कतई नही दी जा सकती हैं। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की भूमि पर किसी खातेदार द्वारा अवैध कब्जा कर रखा हो तो उसके लिये अपीलान्ट को अलग से बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा बेदखली का वाद प्रस्तुत नही कर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किये है जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को उसकी भूमि से बेदखल करने पर उतारू हैं। इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 214, 214/566 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा के समक्ष एक स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एवं प्रार्थना पत्र संख्या 121/2018 उनवानी मांग्या बनाम मोहरपाल प्रस्तुत कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 31.07.2018 को पारित किया हुआ हैं। उक्त तथ्य को भी छुपाते हुये रेस्पोडेन्ट ने पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश कर एकपक्षीय आदेश पारित करवाया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट को हैरान परेशान करने के लिये उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया हैं। जबकि पत्थरगढी के आदेश करवाने से पूर्व संबंधित सभी खातेदार काश्तकार व पडौसी खातेदार काश्तकार को सूचना व सुनवाई, व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही न्यायोचित आदेश माननीय न्यायालय को पारित करना चाहिए था। ऐसा नही कर विधिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये सहखातेदारान् व पडौसी खातेदारान् को बिना पक्षकार बनाये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विधिक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत नही किया हैं। बल्कि साजिश तौर पर पडौसीयों को हैरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये जो मनमाना आदेश पारित किया है वह गलत है एवं काबिल निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जो तथाकथित सीमाज्ञान करवाया जाना अंकित किया हैं। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नही रही हैं तथा न ही कभी मौके पर तहसीलदार व पटवारी हल्का महोदय सीमाज्ञान हेतु गये हैं। अगर कोई कार्यवाही अविधिक रूप से बिना अपीलार्थीगण की जानकारी से करवाई गई है तो वह गलत है, अविधिक हैं, एवं काबिल खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये जो मनमाना आदेश पारित किया है वह गलत है एवं काबिल निरस्तनीय हैं। अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.08.2025 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की भूमि में कब्जा करने की कौशिश की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा रोका गया तो रेस्पोडेन्ट द्वारा कहा गया कि मैंने अधीनस्थ न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश पारित करा लिया हैं और तुमने हमारी भूमि दबा रखी है हम तुम्हें बेदखल करके दम लेगें जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 07.08.2025 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 07.08.2025 को तैयार की जाकर अपीलान्ट को दी गई। जिस पर अपीलान्ट बिना किसी देरी के जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैं। जिसके लिये अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 214/566, 217 पर उक्त पत्थरगढी आदेश की आड में कब्जा करना चाहते हैं। इस कारण अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार हैं। इसलिये अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा मि.सं. 13/2024 उनवानी मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2025 निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 69 पुराना 66 के आराजी खसरा नम्बर 120/577 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 203/596 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 214/579 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.30 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.88 है0 वाके ग्राम झाझीरामपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। जिनका राजस्व टीम द्वारा दिनांक 01.07.2022 को तहसीलदार बसवा के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/7784 दिनांक 03.06.2022 की पालना में सीमाज्ञान किया गया है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजीयात की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 05.08.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की पत्थरगढी कराने के संबंध में विवाद है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट्स की भूमि स्थित है। अपीलान्ट्स उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 06.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर